

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ 5-05/2022/10-2
प्रति,

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 21/03/2023

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं वन बल प्रमुख,
छत्तीसगढ़, अरण्य भवन,
सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक,
नवा रायपुर, अटल नगर।

विषय:- आवेदनकर्ता मेसर्स महाप्रबंधक, जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड, रायपुर द्वारा राजनांदगांव जिले के राजनांदगांव वनमंडल अंतर्गत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 2.963 हे. वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत व्यपवर्तन प्रस्ताव।

- संदर्भ:-** 1. भारत सरकार, पर्यावरण, एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 16.10.2000 तथा पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 08.04.2009।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्र./F No.-5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 15.06.2004।
3. विभागीय पत्र क्रमांक एफ 5-05/2022/10-2, दिनांक 10.01.2023।
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध-ए/115-890ए/408, दिनांक 22.02.2023।

---000---

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। संदर्भित पत्र क्र. 3 के माध्यम से राज्य शासन एतद् द्वारा विषयांकित प्रकरण में सशर्त प्रथम चरण स्वीकृति जारी की गई थी। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) के संदर्भित पत्र क्र. 4 में उक्त प्रथम चरण स्वीकृति में निहित शर्तों का पालन प्रतिवेदन प्रेषित कर राज्य शासन से सामान्य अनुमोदन के तहत औपचारिक अनुमति का अनुरोध किया गया है।

विषयांकित प्रकरण में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) के संदर्भित पत्र क्र. 4 में प्रदायित पालन प्रतिवेदन के आधार पर तथा भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 16.10.2000, पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 08.04.2009, पत्र क्र./F No.-5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 एवं पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 15.06.2004 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत विचारोपरांत राज्य शासन एतद् द्वारा निम्न तालिका में दर्शित विवरण अनुसार :-

तालिका

क्र.	जिला	प्रभावित वनमंडल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	वन कक्ष क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	राजनांदगांव	राजनांदगांव	मिस्त्री	बोरिया	आरक्षित वन	FDC 544	1980	0.5	0.099
2	---	---	मिस्त्री	हिलचुर	आरक्षित वन	FDC 545	660	0.5	0.033
3	---	---	मिस्त्री	हिलचुर	आरक्षित वन	FDC 547	2220	0.5	0.111
4	---	---	खडगांव	सिवनी	आरक्षित वन	FDC 551	400	0.5	0.020
5	---	---	उत्तर मानपुर	मानपुर (पूर्व)	आरक्षित वन	918	2600	0.5	0.130
6	---	---	मिस्त्री	भोजटोला	आरक्षित वन	FDC 573	460	0.5	0.023
7	---	---	मोहला	भोजटोला	आरक्षित वन	FDC 513	1540	0.5	0.077
8	---	---	मोहला	भोजटोला	आरक्षित वन	FDC 489	920	0.5	0.046

K. K. Jaiswal

क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	वन कक्ष क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	राजनांदगांव	राजनांदगांव	भोजटोला	भोजटोला	आरक्षित वन	FDC 464	2600	0.5	0.130
10	---	---	देववाड़वी	भोजटोला	आरक्षित वन	FDC 463	420	0.5	0.021
11	---	---	देववाड़वी	भोजटोला	आरक्षित वन	FDC 461	1560	0.5	0.078
12	---	---	खुज्जी	रेंगाडबरी-कारुटोला	आरक्षित वन	668	1280	0.5	0.064
13	---	---	खुज्जी	माटाराखुज्जी जामनारा	आरक्षित वन	663	1940	0.5	0.097
14	---	---	बाघनदी	छुरियाभाग	आरक्षित वन	510	1340	0.5	0.067
15	---	---	बाघनदी	जोब	आरक्षित वन	625	2060	0.5	0.103
16	---	---	बाघनदी	बाघनदी (द.),	आरक्षित वन	607	80	0.5	0.004
17	---	---	बाघनदी	बाघनदी (द.),	आरक्षित वन	606	1140	0.5	0.057
18	---	---	बाघनदी	बाघनदी (द.),	आरक्षित वन	608	40	0.5	0.002
19	---	---	बाघनदी	बाघनदी (द.),	आरक्षित वन	605	3360	0.5	0.168
आरक्षित वन भूमि का योग							26600	0.5	1.330
1	राजनांदगांव	राजनांदगांव	खडगांव	टेकामटोला	संरक्षित वन	FDC 768	1020	0.5	0.051
2	---	---	खडगांव	गुबियागढ़	संरक्षित वन	FDC 527	280	0.5	0.014
3	---	---	खडगांव	गुबियागढ़	संरक्षित वन	FDC 526	620	0.5	0.031
4	---	---	उत्तर मानपुर	मानपुर (उ.)	संरक्षित वन	P 917	1600	0.5	0.080
5	---	---	मिस्त्री	उरझे	संरक्षित वन	P 575	3920	0.5	0.196
6	---	---	मोहला	भोजटोला	संरक्षित वन	FDC P 558	940	0.5	0.047
7	---	---	मोहला	भोजटोला	संरक्षित वन	FDC P 515	3760	0.5	0.188
8	---	---	मोहला	चिलमटोला	संरक्षित वन	FDC 487	440	0.5	0.022
9	---	---	देववाड़वी	भोजटोला	संरक्षित वन	FDC P 462	1520	0.5	0.076
10	---	---	देववाड़वी	भोजटोला	संरक्षित वन	FDC P 460	1020	0.5	0.051
11	---	---	खुज्जी	जंतर	संरक्षित वन	FDC P 434	640	0.5	0.032

क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	वन कक्ष क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	राजनांदगांव	राजनांदगांव	चौकी	संसारगढ़	संरक्षित वन	P 746	280	0.5	0.014
13	---	---	देववाड़वी	संसारगढ़	संरक्षित वन	FDC 433	1060	0.5	0.053
14	---	---	देववाड़वी	संसारगढ़	संरक्षित वन	FDC 432	180	0.5	0.009
15	---	---	मोहला	अड़मागोंदी	संरक्षित वन	P 786	40	0.5	0.002
16	---	---	चौकी	चौकी	संरक्षित वन	P 715	480	0.5	0.024
17	---	---	चौकी	भडसेना	संरक्षित वन	P 716	980	0.5	0.049
18	---	---	चौकी	मोंगरा (पं.)	संरक्षित वन	P 719	320	0.5	0.016
19	---	---	चौकी	चिल्हाटी	संरक्षित वन	P 731	1220	0.5	0.061
20	---	---	बाघनदी	टीपानगढ़ (उ.)	संरक्षित वन	P 639	200	0.5	0.010
21	---	---	बाघनदी	छुरियाडोंगरी	संरक्षित वन	P 640	420	0.5	0.021
22	---	---	बाघनदी	हाटबंजारी	संरक्षित वन	P 641	1240	0.5	0.062
23	---	---	चौकी	मेरेगांव	संरक्षित वन	P 712	820	0.5	0.041
24	---	---	बाघनदी	गहिराभेडी	संरक्षित वन	P 658	840	0.5	0.042
25	---	---	खुज्जी	भीमपुरी (उ.)	संरक्षित वन	P 677	2140	0.5	0.107
26	---	---	खुज्जी	रेंगाडबरी-कारुटोला	संरक्षित वन	P 674	1120	0.5	0.056
27	---	---	खुज्जी	आमाकट्टा	संरक्षित वन	P 666	300	0.5	0.015
28	---	---	खुज्जी	आमाकट्टा	संरक्षित वन	P 666	640	0.5	0.032
29	---	---	बाघनदी	छुरिया	संरक्षित वन	P 654	960	0.5	0.048
30	---	---	बाघनदी	गोपालपुर (उ.)	संरक्षित वन	P 648	1000	0.5	0.050
31	---	---	बाघनदी	विचारपुर (पू.)	संरक्षित वन	P 626	960	0.5	0.048

संरक्षित वन भूमि का योग

30960

0.5

1.548

क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	प्रभावित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	खसरा क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	राजनांदगांव	राजनांदगांव	मोहला	मटकसा	राजस्व वन	37/2	60	0.5	0.003
2	---	---	मोहला	मटकसा	राजस्व वन	38	220	0.5	0.011
3	---	---	मोहला	मटकसा	राजस्व वन	41	60	0.5	0.003
4	---	---	मोहला	मटकसा	राजस्व वन	61	60	0.5	0.003
5	---	---	मोहला	मटकसा	राजस्व वन	63	80	0.5	0.004
6	---	---	मोहला	मटकसा	राजस्व वन	165	240	0.5	0.012
7	---	---	छुरिया	मेटेपार	राजस्व वन	207	60	0.5	0.003
8	---	---	छुरिया	मेटेपार	राजस्व वन	209	120	0.5	0.006
9	---	---	छुरिया	कुहीखुर्द	राजस्व वन	97	140	0.5	0.007
10	---	---	अम्बागढ़ चौकी	आमाटोला	राजस्व वन	117	20	0.5	0.001

क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	प्रभावित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	खसरा क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	राजनांदगांव	राजनांदगांव	छुरिया	गहिराभेडी	राजस्व वन	627/1	40	0.5	0.002
12	—“—	—“—	छुरिया	गहिराभेडी	राजस्व वन	630	100	0.5	0.005
13	—“—	—“—	छुरिया	गहिराभेडी	राजस्व वन	641	40	0.5	0.002
14	—“—	—“—	छुरिया	गहिराभेडी	राजस्व वन	656	20	0.5	0.001
15			छुरिया	सागर	राजस्व वन	275/1	440	0.5	0.022
राजस्व वन भूमि का योग							1700	0.5	0.085
कुल योग							59260 (59.260 K.M.)	0.5	2.963

उक्त 59.260 कि.मी. लंबे तथा 0.5 मीटर चौड़े वन क्षेत्र कुल 2.963 हे. वन भूमि (आरक्षित वन भूमि 1.330 हे. संरक्षित वन भूमि 1.548 हे. एवं राजस्व वन भूमि 0.085 हे.) में भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु मेसर्स महाप्रबंधक, जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड, रायपुर, छत्तीसगढ़ को वन भूमि उपयोग पर देने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन (Stage -II Approval) अंतिम चरण की स्वीकृति दी जाती है :-

1. वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।
2. प्रस्ताव में उल्लेख के अनुरूप ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन का मार्ग संरेखित किया जायेगा तथा मार्ग परिवर्तित नहीं किया जायेगा ।
3. ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु वृक्ष नहीं काटे जायेंगे ।
4. उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु खन्ति की अधिकतम चौड़ाई 0.50 मीटर तथा गहराई 1.65 मीटर होगी । वन्यप्राणी तथा बायोडायवर्सिटी को नुकसान न पहुँचें, इसे ध्यान में रखकर स्थानीय वनाधिकारी की निगरानी में बिना मशीनों का उपयोग किये मजदूरों के द्वारा खन्ति को खोदा तथा उपयोग उपरांत आवेदक द्वारा स्वयं के खर्चे पर खन्ति को भरकर समतल किया जावेगा ।
5. स्थल पर कार्य करने की तिथियों को आवेदनकर्ता द्वारा वनमंडलाधिकारी को पूर्व से सूचित किया जाएगा, ताकि मौके पर वन विभाग के अधिकारियों के समक्ष कार्य हो सके तथा खोदे जा रही वनभूमि की क्षति को न्यूनतम रखा जा सके ।
6. उपरोक्त लाईन, राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य प्राणी अभ्यारण्य के बाहर, सड़क के किनारे तथा मौजूदा सड़क की चौड़ाई के अंतर्गत ही बिछाई जावेगी ।
7. आवेदक संस्थान, उपयोग पश्चात, उपयोग किये गये भूमि का उपयोग/रखरखाव के खर्चे को वहन करने हेतु, वचनबद्ध रहेगा ।
8. आवेदक संस्थान, स्थानीय वन/पर्यावरण को होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए वचनबद्ध रहेगा, अतः यथासंभव वन/पर्यावरण को संरक्षित रखेगा ।
9. आवेदक संस्थान रखरखाव का कार्य करने के पूर्व वन विभाग से अनुमति प्राप्त करेगा ।
10. वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा ।

11. वनभूमि के हस्तांतरण से पूर्व, पर्यावरणीय अनुमति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 सहित प्रस्तावित कार्य हेतु लागू होने वाले समस्त नियमों, विनियमों एवं दिशा निर्देशों एवं शर्तों का पालन किया जाएगा।
12. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी (वन संरक्षण अधिनियम 1980) द्वारा प्रतिमाह की 5 तारीख के पूर्व राज्य शासन से जारी समस्त सामान्य अनुमोदन के प्रकरणों की रिपोर्ट, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को प्रेषित करेंगे।
13. बिना भारत सरकार की अनुमति के वन भूमि का उपयोग बदलना, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा तथा भूमि उपयोग को यदि बदलने की आवश्यकता हो, तो आवेदक संस्थान इस हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी तथा राज्य शासन के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को निवेदन करेंगे।
14. क्षेत्र के वनस्पति एवं वन्यजीव (Flora & Fauna) तथा पर्यावरण के संरक्षण/विकास हेतु समय-समय पर राज्य शासन या भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा अधिरोपित अन्य किन्ही शर्तों के पालन हेतु आवेदक संस्थान बाध्य होगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन को वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन मानकर कार्यवाही की जायेगी।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 उपरोक्त शर्तों का पालन कराना सुनिश्चित करेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार,

K. Rajput
29.3.23

(के.पी.राजपूत)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 29/03/2023

पृष्ठां.क्रमांक/एफ 5-05/2022/10-2
प्रतिलिपि :-

1. वनमहानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर छत्तीसगढ़।
3. मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त, दुर्ग, छत्तीसगढ़।
4. वनमंडलाधिकारी, राजनांदगांव वनमंडल, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़।
5. आवेदनकर्ता, महाप्रबंधक, जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड, चतुर्थ तल, अंबुजा मॉल, विधानसभा रोड, मोवा (सड्डू), रायपुर, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

K. Rajput

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग